माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 17.07.2017 को आयोजित "नगर विकास एवं आवास विभाग" के कार्यों की समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय/कार्यवाही :–

- नगर निकायों में जलापूर्ति योजनाओं तथा अन्य योजनाओं के परिचालन एवं प्रबंधन हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अंतर्गत वार्ड समिति का गठन करने पर विचार किया जाय। इस हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा गठित वार्ड समिति के प्रावधानों का अध्ययन करके अपने अधिनियम के आलोक में विधि सम्मत प्रस्ताव लाने का निदेश दिया गया।
- जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव एवं संचालन हेतु user charge लागू करने के लिए नीति निर्धारण का प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय, जिसमें सभी वर्गों के लिए दर निर्धारण में समरूपता रखने पर विचार किया जाए।
- यह जानकारी दी गयी कि पटना नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर की प्रभावी वसूली हेतु निविदा के माध्यम से आउटसोर्सिंग का चयन किया जा रहा है। नगर निकायों को कलस्टर के रूप में बाँटकर विभाग के स्तर से निविदा आमंत्रित कर अलग–अलग एजेंसी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से सम्पत्ति कर की वसूली हेतु चयन करने पर नियमानुसार विचार किया जाय। प्रत्येक एजेंसी का एकरारनामा सीधे संबंधित नगर निकाय से होना श्रेयष्कर होगा और वसूली तथा भुगतान सीधे नगर निकाय द्वारा किया जाएगा। इस बिन्दु पर विभाग समुचित विचार कर प्रस्ताव लाये।
- शहरों में advertisement tax, अन्य राज्यों की भाँति नगर निकायों को ही मिले, इसके लिए बिहार वित्तीय नियमावली में यथोचित संशोधन करने का प्रस्ताव वित्त विभाग के स्तर से तैयार कराकर उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
- नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन एकीकृत अभियंत्रण संगठन, जिस पर प्रशासी पदवर्ग समिति का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त कर ली जाय और तदोपरांत सभी वैधानिक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कर प्रभावी किया जाय।
- जिन शहरों में जल में arsenic/fluoride/Iron इत्यादि की समस्या है, वहाँ treatment plant का प्रावधान RFP में किया जाय। इस संबंध में PHED द्वारा उनके RFP में समाहित किये गये प्रावधानों का अध्ययन करके, नगर विकास एवं आवास विभाग के पेयजल योजनाओं में भी RFP में समाहित किया जाय।
- खैरा में अधिष्ठापित fluoride treatment plant एवं आरा में अधिष्ठापित arsenic treatment plant का स्थल निरीक्षण/अध्ययन BRJP एवं विभागीय अभियंताओं द्वारा किया जाय।
- AMRUT योजनान्तर्गत BRJP द्वारा कराये जा रहे नल जल की योजना में agency द्वारा निर्धारित O&M अवधि के उपरांत लागू होने वाली व्यवस्था का नीति निर्धारण अभी से कर लिया जाय।
- शहरों में निर्माण होने वाले मुख्य outfall drain से निकलने वाले पानी का उपयोग सिंचाई एवं कृषि हेतु किया जाय। सिंचेवाल मॉडल का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा कृषि विभाग से समन्वय किया जाए एवं तदनुसार योजना का सूत्रण किया जाए।

- सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु विभाग द्वारा तैयार किये गये model estimate को पुनः analysis करके लागत दर को कम करने की कार्रवाई की जाय। सामुदायिक शौचालय की सफाई एवं O&M की जिम्मेवारी विधिवत् संबंधित लाभार्थी को दी जाय।
- मुजफ्फरपुर और सिलाव SWM मॉडल की प्रस्तुति तुलनात्मक अध्ययन के लिये करायी जाय। इन models को यथा साध्य अन्य शहरों में भी लागू करने की कार्रवाई की जाय।
- राजगीर, बोधगया, गया, बिहार शरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा शहरों के planning area authority के गठन हेतु कार्रवाई शीघ्र की जाय।
- जिन शहरों का आयोजना क्षेत्र अधिसूचित हो गया है, उन शहरों का मास्टर प्लान एवं आयोजना प्राधिकार के गठन हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाय।
- शहरों में सबके लिए आवास योजना हेतु जमीन की अनुपलब्धता एवं जमीन के स्वामित्व से संबंधित अद्यतन कागजात नहीं रहने के कारण आवास का निर्माण नहीं हो पाता है। इस संबंध में मुख्य सचिव, जिला पदाधिकारियों से समीक्षा कर समुचित कार्रवाई हेतु निर्देशित करेंगे।

ह०/–
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 5379 .....न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 17/08/17.....

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/8/2017
प्रधान सचिव